मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 7–13 / 2004 / आ.प्र. / एक, भोपाल, दिनांक 03 अक्टूबर, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
मध्यप्रदेश.

विषयः–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरणों का समय–सीमा में निराकरण।

संदर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र दिनांक 11.07.2005, 18.02.2009

—0—

सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 11.07.2005 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी सरलीकृत प्रक्रिया जारी की गई है तथा संदर्भित परिपत्र दिनांक 18.02.2009 द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु समयावधि **"एक माह"** निर्धारित की गई है।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष समय–समय पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रकरणों का समय–सीमा में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया जाता है। ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु समय–समय पर शिविर आयोजित करने के भी निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि शासन के स्पष्ट एवं समुचित निर्देशों के बावजूद राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों का निराकरण समय–सीमा में नहीं किया जाता है। इससे आरक्षित वर्गों की छात्र–छात्राओं तथा बेरोजगारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार वह जाति प्रमाण पत्र के अभाव में अपनी संवैधानिक सुविधाएं प्राप्त करने से भी वंचित रह जाते हैं।

3/ अतः समस्त संबंधितों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों का, आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से "एक माह" के अंदर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए।

4/ उपरोक्त के अलावा राज्य शासन के ध्यान में यह भी आया है कि अनेक व्यक्तियों को केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा या तो ऐसे जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाते है या जारी करने में अनावश्यक विलंब करते है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 11.07.2005 की कंडिका 4.2 में प्रारूप–'एक' एवं प्रारूप–'दो' एक साथ (आगे–पीछे) मुद्रित कर इन्हें एक साथ जारी करने के निर्देश दिये गये है। इसमें प्रारूप–'दो' केन्द्रीय प्रारूप के रूप में संलग्न किया गया है। अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को छानबीन उपरांत राज्य शासन के प्रारूप में स्थायी जति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है और वह केन्द्रीय प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र की मांग करता है तो ऐसे प्रकरणों में पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राज्य प्रारूप में जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर केन्द्रीय प्रारूप में **"तत्काल (एक दिवस में)"** जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

5/ समस्त जिला कलेक्टर अपने राजस्व अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करें। प्रतिमाह लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें एवं प्रति तीन माह में जारी किये गये तथा लंबित प्रकरणों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) को ई–मेल एड्रेस osdgad@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक एफ 7–13/2004/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 03 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग